न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–519/2020 (GCMS No. 2020/00542) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. छीतर पुत्र देवनारायण जाति माली उम्र 62 वर्ष निवासी छाबडी चौक, आलनपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती केला बाई पुत्री देवनारायण पत्नि रामफूल जाति माली उम्र 53 वर्ष निवासी आलनपुर हाल कुशालीपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2019 न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर अपील संख्या 03/2016 उनवान श्रीमती केला बाई बनाम छीतर।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्टस की ओर से श्री मुरारी लाल शर्मा, वकील
2. रेस्पोडेन्ट ओर से श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील

नि र्ण य दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 25.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनथ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा नामांतरकरण संख्या 935 दिनांक 12.03.1987 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ अपील पेश की गई। रेस्पोडेन्ट ने वर्ष 1987 के नामांतरकरण संख्या 935 की अपील वर्ष 2010 में देरी से पेश की गई है। रेस्पो.मृतक देवनारायण की लडकी हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में यह तथ्य अंकित है कि रेस्पो. मृतक देवनारायण की लडकी है। नामांतरकरण की कार्यवाही

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

एक फिसकल इन्क्वायरी है जिसमें अधिकार तय नहीं होते हैं। अगर रेस्पो. अपने आप को मृतक देवनारायण की वारिस मानती है तो सर्वप्रथम सिविल न्यायालय से उद्घोषणा लेनी चाहिए तभी इस प्रकार अपील पेश करने की अधिकारी बन सकती है। रेस्पोडेन्ट का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार भू अभिलेख सवाई माधोपुर द्वारा नामांतरकरण संख्या 95 से दिनांक 29.06.2018 को ही खसरा नम्बर 731 को छोडकर समस्त खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज किये जा चुके हैं तो फिर रेस्पोडेन्ट के नाम नामांतरकरण कैसे दर्ज हो सकता है। सिवायचक होने के बाद जमीन नगर परिषद या नगर विकास न्यास के नाम दर्ज होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. ने नगर परिषद या नगर विकास न्यास को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतनी लम्बी अवधि को माफ करने पर कोई आदेश पारित किये बिना, तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 पारित किया गया है। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु श्री राजेन्द्रसिंह, श्रीमती शशि बंसल, श्री राजेश कुमार सोगरवाल एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया।
3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को अपील पर सुना।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपने अपील मीमो व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाते हुए दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलांट को जानकारी नहीं थी और ना ही अपीलांट को वकील अपीलांट ने सूचित किया। दिनांक 7.2.2020 को अपीलांट अपने वकील के पास गया तो वकील ने सर्वप्रथम बताया कि मुकदमे का फैसला हो गया। अपीलांट ने उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जो उसको 11.2.2020 को प्राप्त हुई। इसके बाद अपीलांट की तबीयत होने से वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहा। स्वस्थ्य होते ही अपील पेश की तथा अपील पेश करने में हुई डिले माफ करने हेतु दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील को पेश करने में हुये विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया। इसके बाद कथन किया कि हमने यह अपील जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 25.03.2019 के विरूद्व पेश की जिसमें रेस्पोडेन्ट की अपील जो नामांतरकरण संख्या 935 दिनांक 12.03.1987 के विरूद्व आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सवाई माधोपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि मृतक देवनारायण के विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर मृतक के विधिक वारिसान के नाम विवादित आराजी पर नियमानुसार नामांतरकरण भरकर दर्ज फैसल करें। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील 23 वर्ष बाद पेश की तथा कथन किया था कि नामांतरकरण अपीलांट छीतर के

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नाम गलत चढ गया और मैं भी देवनारायण की पुत्री हूँ जिसमें मेरा भी अधिकार है। अपीलांट ने कथन किया कि विवाहिता को कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं था और ऐसा अधिकार टीनेन्सी एक्ट में वर्ष 2005 के बाद आया है। 23 वर्ष विलम्ब अवधि को माफ करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये हैं। मौजूदा अपील में तहसीलदार को पक्षकार भी नहीं बनाया है जिससे प्रकरण में वास्तविकता उजागर होती। अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों ही मुद्दों को नजरअंदाज किया है। यदि रेस्पोडेन्ट मृतक देवनारायण की वारिस है तो उसे सर्वप्रथम सिविल कोर्ट से घोषणा करवानी होगी और तभी अपील करने की अधिकारी होगी। रेस्पो. का मौके पर कब्जा नहीं होकर अपीलांट का है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामांतरकरण संख्या 95 दिनांक 29.6.2018 को ही ख.नं. 731 को छोडकर समस्त ख.नं. सिवायचक दर्ज कर दिये तो ऐसे में रेस्पोडेन्ट के नाम नामांतरकरण कैसे तस्दीक होगा। भूमि खातेदारी में रही ही नहीं थी तो अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड देखे आदेश पारित किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2020 एससी पेज 3717 व एआईआर ऑनलाईन 2020 एससी पेज 676 भी उद्धृत किये गये। अतः हमारी अपील स्वीकार फरमायी जावे और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.03.2019 खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों का पुरजोर खण्डन करते हुये दलील दी कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सगे भाई– बहन है तथा उनका पिता मृतक देवनारायण पुत्र गेंदया जाति माली था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1986 के अनुसार पैतृक संपति में पुत्र व पुत्रियों का समान अधिकार है तथा पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट ने संपूर्ण आराजी का नामांतरकरण अपने नाम करा लिया। नामांतरकरण संख्या 935 जो कि पुत्री के नाम नहीं खोला गया है जो अवैधानिक है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा हमारी अपील को स्वीकार कर तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया। हमें सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है। रिमाण्ड के मामलों में अपील संधारणीय नहीं है। साथ ही सिवायचक नम्बरों को छोडकर ही रिमाण्ड किया है, केवल खातेदारी नम्बरों पर वैध पुत्री के मामले में कानून की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अपील 11 माह बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर है और उनके द्वारा अंकित कारण पर्याप्त नहीं है। न्यायालय तहसीलदार को पार्टी बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने समर्थन में न्यायिक नजीर 1996 आरआरडी पेज 381 भी उद्धृत की। अतः अपील निराधार होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया और उनसे मार्गदर्शन प्रापत किया।

7. हमने अपीलांट द्वारां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 25.03.2019 का है तथा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2020 के पेश हुई जो लगभग 11 माह के विलम्ब से प्रस्तुत होना पायी जाती है। हम अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं जैसाकि माननीय न्यायालय ने समय–समय पर विभिन्न प्रकरणों में अपना अभिमत प्रतिपादित किया है कि मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी पक्ष अनसुना नहीं रहे और प्रकरण का अंतिम निर्णय उभयपक्ष की समुचित सुनवाई के बाद गुणावगुण के आधार पर हो। इस प्रकार अपीलांट की परिस्थितियों के मध्येनजर उनके प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकारते हुये अपील पेश करने में हुई देरीना अवधि को माफ करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

8. नामांतरकरण संख्या 935 दिनांक 12.03.1987 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतक देवनारायण की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र छीतर अकेले के नाम नामांतरकरण स्वीकृत होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर से विवादित आराजीयात के मौके, रिकार्ड व वारिसान के संबंध में रिपोर्ट मंगवायी भी गई थी। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 6.2.2019 में अंकित पाया जाता है कि– "नामांतरकरण संख्या 935 में दर्ज देवीनारायण पुत्र गेंदया उर्फ गेन्दीलाल माली के एक पुत्र छीतर व एक पुत्री केलाबाई है जो जीवित है तथा देवीनारायण की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इनके अलावा देवनारायण माली के अन्य कोई वारिसान नहीं हैं।" इसके अलावा अपीलांट छीतर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी हस्ताक्षरयुक्त लिखित बहस में रेस्पोडेन्ट केलाबाई को अप्रत्यक्ष रूप से देवनारायण की पुत्री मानकर ही तर्क प्रस्तुत किये है। हम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1986 के प्रावधानों को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि पैतृक संपति में पुत्र –पुत्रियों का समान रूप से अधिकार होता है। एक तरफ तो अपीलांट रेस्पोडेन्ट को अपनी बहन या मृतक देवनारायण की पुत्री ही मानने से इंकार कर रहा है और दूसरी तरफ उसके द्वारा प्रस्तुत तर्कों में अप्रत्यक्ष रूप से उसको मृतक देवनारायण की पुत्री मानते हुए उसके हक हकूकों से महरूम करने हेतु कानूनों का हवाला देता है। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि 2005 से पूर्व से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1986 के अनुसरण में पैतृक संपति में पुत्र–पुत्रियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और तत्समय

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को नकारते हुए स्वयं अकेले के नाम नामांतरकरण करवाना उसकी बदयांति को दर्शाता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी मृतक देवनारायण के विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर नामांतरकरण फैसल करने हेतु मामला तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिमाण्ड किया है जो विधिसम्मत है और जिसमें हमें कोई त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के मध्येजनर अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलांट की अपील सारहीन एवं निराधार होने से इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 25.03.2019 को यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर